राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

जनजाति उप योजना क्षेत्र के ग्रामीणों को बनाया जायेगा आत्मनिर्भर

–राज्यपाल

जयपुर, 18 जून। राजस्थान में जनजाति उप योजना क्षेत्र के ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने इसके लिए न्यू बेस्ट प्रेक्टिस मॉडल तैयार करवाया है। इसके तहत जनजाति उप योजना क्षेत्र (टीएसपी) के राज्य विश्वविद्यालय ग्रामीण युवाओं व युवतियों को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार की व्यवस्था मुहैय्या करायेंगे।

राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 244(1) एवं पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जनजाति रहवासियों के कल्याण एवं उन्नति के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इस दृष्टि से विश्वविद्यालयों के स्तर पर अनुसूचित क्षेत्र में स्थित गांवों में रोजगार के अवसरों के सृजन के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्यपाल श्री सिंह ने इस सम्बन्ध में टीएसपी एरिया के तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार को पत्र भेजकर निर्देश दिये हैं।

कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने कहा है कि प्रशिक्षित युवाओं को अभिनव परियोजनाओं से जोड़ कर रोजगार व स्वरोजगार प्रदान कराया जायेगा। राज्यपाल का मानना है कि इससे जनजाति क्षेत्रों के ग्रामीण युवक व युवतियां आत्म निर्भर बन सकेगें। राज्यपाल श्री सिंह की इस पहल से जनजाति उपयोजना क्षेत्र के गांवों से लोगों की पलायन करने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी। रोजगार से गांवों के वातावरण में बदलाव आयेगा।

राज्यपाल श्री सिंह ने कहा कि इस बेस्ट प्रेक्टिस की क्रियान्विति जनजाति उप योजना क्षेत्र में स्थापित तीन विश्वविद्यालय यथा उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय व मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और बांसवाड़ा के गोविन्दगुरू जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी। तीनों विश्वविद्यालय अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं व युवतियों को चिन्हित करेंगे और उन्हें कौशल प्रशिक्षण देंगे। गांवों को अभिनव परियोजनाओं से जोड़कर लोगों को रोजगार दिलाया जायेगा। स्वरोजगार आरम्भ करने वाले युवाओं को सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जायेंगी। इससे युवा पीढ़ी स्वावलम्बी बनेगी।

राज्यपाल श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का सघन प्रवास है। अनुसूचित क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं हेतु जीविकोपार्जन के अवसरों में वृद्धि किया जाना जरूरी है। रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास आवश्यक है। श्री सिंह ने कहा कि न्यू बेस्ट प्रैक्टिस के अन्तर्गत विश्वविद्यालय गांवों में इच्छुक एवं पात्र बेरोजगार युवाओं को चिन्हित करेंगें। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से चिन्हित युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा। इस कार्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा।

अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के वित्तीय तकनीकी सहयोग से विश्वविद्यालय ग्रामीणों की आय संवर्धन हेतु कृषि उत्पादन, मूल्य संवर्धन एवं लघु वनोत्पाद प्रक्रियाओं पर आधारित परियोजनाओं का सृजन करेंगे। इससे ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के साथ–साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी।

— — —

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा
जनसम्पर्क अधिकारी, राज्यपाल